दिनांक 08 अप्रैल, 2013 के एजेण्डा पर राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही

मद संख्या (घ-1)

दिनांक 23.06.2011 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट देने के संबंध में निम्न प्रस्ताव दिया गया था –

(i) मोटर कैब के वाहन जो व्यवसायिक रूप से निबंधित हैं, यदि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 85 (ए) के अनुपालन का प्रमाण पत्र मोटर यान निरीक्षक से प्राप्त कर जिला परिवहन पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ लाते हैं तो उसे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिया जा सकता है।

(ii) बड़ी वाहनो यथा बस के वाहन स्वामी यदि बस का निर्माण केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 128 के तहत कराकर जिला परिवहन पदाधिकारी से निबंधन टूरिस्ट वाहन के रूप में कराकर लाते है तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिया जा सकता हैं।

(iii) टूरिस्ट परमिट देने हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88(9) के अंतर्गत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु शक्ति प्रत्यायोजित की जाय।

दिनांक 23.06.2011 की उक्त बैठक मे राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य परिवहन प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में मोटर कैब एवं बड़े वाहनो को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिया जा रहा हैं।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा–2 की उपधारा– 25 में मोटर कैब को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार वाहन चालक को मिलाकर सात (6+1) बैठान क्षमता वाले वाहनों को ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, वर्ष 1988 का है। इस बीच भिन्न–भिन्न मॉडल की कई उच्च कोटि की छोटी वाहनो का निर्माण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी बैठान क्षमता भी सात (7) से ज्यादा होती है। वैसे वाहन के वाहन स्वामियों द्वारा भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट हेतु अनुरोध किया जा रहा है। दिनांक 23.06.2011 को प्राधिकार का निर्णय मोटर कैब के अन्तर्गत आनेवाले छोटे वाहनों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट देने का है। जिसके कारण (6+1) सात बैठान क्षमता से अधिक सीट वाले छोटे वाहनो को परमिट देने में कठिनाई हो रही है;

वाहन स्वामियों के द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश मे सात बैठान क्षमता से अधिक सीट वाले वाहनों को भी परमिट दिया जा रहा है। बिहार राज्य के द्वारा परमिट नहीं दिये जाने के कारण राज्य का राजस्व अन्य राज्यों में चला जा रहा है। परिवहन विभाग के राजस्व के लक्ष्य में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः राज्य का राजस्व अन्यत्र न जाये इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है।

इस परिपेक्ष्य में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 128 का अवलोकन अपेक्षित प्रतीत होता है जिसमें मोटर कैब से भिन्न वाहनों को टूरिस्ट वाहन माना गया है, जिसका अंश निम्नवत है:–

"A tourist vehicle other than motorcab, taxicab, campers van house trailer, shall conform to the following specifications, namely..."
इससे स्पष्ट है कि मोटर कैब से भिन्न मोटर वाहन को भी टूरिस्ट वाहन के रूप में मान्यता है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 का धारा 2 में वाहनो को परिभाषित किया गया है, जिसमें टैक्सी कैब परिभाषित नही है, किन्तु मैक्सी कैब को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार चालक को छोड़कर अधिकतम बारह बैठान क्षमता वाले वाहन इस श्रेणी में आते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में विभाग का प्रस्ताव है कि:–

1- मोटर कैब के अतिरिक्त टैक्सी/मैक्सी कैब/ओमनी बस को भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिया जाय।

2- बिहार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्येश्य से अधिक से अधिक वाहनों को टूरिस्ट परमिट दिये जाने की आवश्यकता है। अतएव वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य परिवहन प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है।

निर्णय :– राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा मोटर कैब के अतिरिक्त टैक्सी/मैक्सी कैब/अन्यवाहन जो टूरिस्ट वाहन की शर्तें को पूर्ण करते हैं, को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य हेतु राज्य परिवहन आयुक्त को प्राधिकृत किया गया। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को टूरिस्ट परमिट स्वीकृत किये जाने की शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अन्य राज्यों में इस संबंध में क्या व्यवस्था है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर प्राधिकार की अगली बैठक में रखा जाय।

अपर सचिव, गृह विभाग-सह-सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना	सचिव, पथ निर्माण विभाग-सह सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग-सह-सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना	प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना	अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद एवं अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना